न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 885/दावा/2019
दायरा दि0 01/07/2019

उनवान

1. लक्षित पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड़ नाबा0 जर्ये वली माता निशा पत्नि रामस्वरूप जाति धाकड़ निवासी मरायता तह0 खानपुर
2. प्रियान्शी पुत्री रामस्वरूप जाति धाकड़ नाबा0 जर्ये वली माता निशा पत्नि रामस्वरूप जाति धाकड़ निवासी मरायता तह0 खानपुर

—— वादीगण

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी मरायता तह0 खानपुर
2. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोलाना तह0 खानपुर
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी
श्री भूपेंद्रसिंह हाड़ा अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 24/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मरायता की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 174 की ख0नं0 9/1 रकबा 20.16 बीघा, ख0नं0 54/1 रकबा 20.08 बीघा, ख0नं0 263/1 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 264/1 रकबा 2.10 बीघा, ख0नं0 265/1 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 267/1 रकबा 2.08 बीघा, ख0नं0 291/1 रकबा 3.16 बीघा कुल 7 किता की 50.13 बीघा आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है, जो वर्तमान में वादीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ के खाते दर्ज रेकार्ड है। यह आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 को अपने दादा जगन्नाथ से जर्ये विरासतन प्राप्त हुई है, इस प्रकार यह आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण ही अपने पिता रामस्वरूप प्रति0नं0 1 के जायज उत्तराधिकारी है। हमारे अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

वादीगण नाबालिग हैं और अपने संरक्षक माता के जर्ये वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे पिता रामस्वरूप हम पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वादीगण की पढ़ाई लिखाई व खान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। वादीगण के पिता की गलत संगत होने से वादीगण का भविष्य अंधकार मय हो गया है। इसलिये वादीगण को अपनी पढ़ाई लिखाई व अपने भविष्य को संवारने के लिये अपने दादा की आराजी में से अपना हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

अपने नाम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है, जिससे वादीगण अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी है और इस पुश्तैनी आराजी में वादीगण को हिस्सा जन्म से ही हक हकूक प्राप्त है। इस प्रकार इस आराजी में वादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/3 हिस्सा व प्रति0नं0 1 का 1/3 हिस्सा बनता है, जिसके वादीगण खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य हैं। दिनांक 20.06.2019 को वादीगण द्वारा अपने पिता प्रति0नं0 1 से फीस जमा कराने के लिये रूपयों की मांग करने व उनके द्वारा इंकार हो जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी नाबालिग हैं और वादीगण की संरक्षक माता निशा पत्नि रामस्वरूप के द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम मरायता की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 174 की कुल 7 किता की 50.13 बीघा आराजी में वादी नं0 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं0 2 को हिस्सा 1/3 को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 2, 3 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। दिनांक 18.07.2019 को पक्षकारान ने जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि " उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व समाज के व्यक्तियों की आपसी समझाईश से यह राजीनामा प्रस्तुत करते हैं कि ग्राम मरायता की नया खाता नं0 174 पुराना 232, 233 की आराजी खसरा नम्बर 9/1 की 20.16 बीघा, खसरा नम्बर 54/1 की 20.08 बीघा, खसरा नम्बर 263/1 की 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 264/1 की 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 265/1 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 267/1 की 2.08 बीघा, खसरा नम्बर 291/1 की 3.16 बीघा कुल 7 किता 50.13 बीघा आराजी में से राजीनामा अनुसार वादी नं0 1 लक्षित पुत्र रामस्वरूप को हिस्सा 1/5 व वादी नं0 2 प्रियान्शी पुत्री रामस्वरूप को हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी नं0 1 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ को 3/5 हिस्सा रहेगी। प्रतिवादी नं0 1 के पास अपनी बहिनों की मुसाला आदि करने की जिम्मेदारी रहेगी। अतः श्रीमान् की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा स्वीकार कर राजीनामानुसार वाद डिक्री फरमाई जाने की कृपा करें। " राजीनामा पक्षकारान को पढ़कार सुनाया गया तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा में अंकित तथ्यों को सही एवं सत्य होना स्वीकार करने एवं राजीनामा राजीखुशी से आलेखित कराना स्वीकार करने पर इसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम मरायता की वादग्रस्त आराजी 7 किता की 50.13 बीघा वादीगण के पिता प्रति0नं0 1 रामस्वरूप को उनके पिता जगन्नाथ से मिली है। ऐसे में यह आराजी वादीगण के पुश्तैनी आराजी है। हम वादीगण प्रति0नं0 1 रामस्वरूप की संतान हैं तथा वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी संम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस आराजी में वादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रति0नं0 1 का 1/3 हिस्सा बनता है। चूँकि लोक अदालत की

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

भावना से प्रेरित होकर व समाज के व्यक्तियों की आपसी समझाईश से पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी नं0 1 को 1/5 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/5 हिस्से एवं प्रति0नं0 1 को 3/5 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये लोक अदालत की भावना व रिश्तेदारों की समझाईश से इस प्रकरण में राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम मरायता की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 174 की ख0नं0 9/1 रकबा 20.16 बीघा, ख0नं0 54/1 रकबा 20.08 बीघा, ख0नं0 263/1 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 264/1 रकबा 2.10 बीघा, ख0नं0 265/1 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 267/1 रकबा 2.08 बीघा, ख0नं0 291/1 रकबा 3.16 बीघा कुल 7 किता की 50.13 बीघा आराजी रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ सा0देह के खाते दर्ज है, जो प्रति0नं0 1 व वादीगण का पिता है। वादीगण ने इस आराजी को पुश्तैनी सम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपना जन्म से हक अधिकार होने से अपना 1/3, 1/3 हिस्सा चाहा है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना एवं रिश्तेदारों की समझाईश से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है, जो कानून सम्मत होने से तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। पक्षकारान ने राजीनामा में वादी नं0 1 को 1/5 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/5 हिस्से एव प्रति0नं0 1 को 3/5 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने की सहमति दी है। ऐसे में हम इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार करना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम मरायता की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 174 की ख0नं0 9/1 रकबा 20.16 बीघा, ख0नं0 54/1 रकबा 20.08 बीघा, ख0नं0 263/1 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 264/1 रकबा 2.10 बीघा, ख0नं0 265/1 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 267/1 रकबा 2.08 बीघा, ख0नं0 291/1 रकबा 3.16 बीघा कुल 7 किता की 50.13 बीघा आराजी में वादी नं0 1 को 1/5 हिस्से, वादी नं0 2 को 1/5 हिस्से एवं प्रति0नं0 1 को 3/5 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। इस आशय का ड्रिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 24/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)